निबंधन सं० पी० टी०—40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1927 (श०)

(सं० पटना 699) पटना, बृहस्पतिवार, 29 दिसम्बर 2005

वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग

अधिसूचनाएं

29 दिसम्बर 2005

एस०ओ० 119—दिनांक 29 दिसम्बर 2005—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 की धारा 10 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात कि ऐसा किया जाना राज्य हित में आवश्यक है, बिहार-राज्यपाल एतद द्वारा इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के स्तम्भ 2 में वर्णित मनोरंजन को स्तम्भ 3 में वर्णित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन स्तम्भ 4 में उल्लिखित अवधि तक मनोरंजन कर की देयता से विमुक्ति प्रदान करते हैं :—

क्रम सं0	मनोरंजन की प्रकृति	शर्त एवं निर्बंधन	अवधि की सीमा
1	2	3	4
1	छविगृह जिसमे आधुनिक ध्वनि प्रणाली/एयर कंडीशनर/ जेनरेटिंग सेट/फर्नीचर के मद मे उन्नयन किया गया हो अथवा जिनका विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण किया गया हो।	छविगृह द्वारा आधुनिक ध्वनि प्रणाली/एयर कंडीशनर/ जेनरेटिंग सेट/फर्नीचर के मद में अथवा छविगृह के विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण के मद में 31.03.2010 तक कम से कम 1 करोड़ का अतिरिक्त पूंजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ किया गया हो एवं पूंजी निवेश अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो। 2. स्वत्वधारी द्वारा उन्नयित छविगृह में वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ करने के एक माह पूर्व विमुक्ति प्रदान करने हेतु संयुक्त आयुक्त(प्रशासन) के समक्ष विहित प्रपत्र":" में आवेदन समर्पित किया जायेगा एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा कुल पूंजी निवेश के संबंध में निर्गत प्रमाण पत्र संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष किये जाने के शर्तो के अधीन प्रपत्र"।।" में विमुक्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।	दो वर्ष
2	न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र जो निर्माण मे न्यूनतम 1.5 करोड़ पूँजी निवेश करते हों।	न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र जिनके द्वारा निर्माण के मद में 31.03.2010 तक कम से कम 1.5 करोड़ का पूंजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ किया गया हो एवं पूंजी निवेश अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो। 2. स्वत्वधारी द्वारा उन्नयित छविगृह में वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ करने के एक माह पूर्व विमुक्ति प्रदान करने हेतु संयुक्त आयुक्त(प्रशासन)	तीन वर्ष

		के समक्ष विहित प्रपत्र "।" में आवेदन समर्पित किया जायेगा एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा कुल पूंजी निवेश के संबंध में निर्गत प्रमाण पत्र संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष किये जाने के शर्त्तें के अधीन प्रपत्र "।।" में विमुक्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।	
3	मल्टीप्लैक्स जिसमें कम–से–कम तीन चलचित्रोंगृहों का निर्माण किया जाये।	मल्टीप्लैक्स जिसमें कम–से–कम तीन चलचित्र गृहों के निर्माण के मद में 31.03.2010 तक कम से कम रू0 3 करोड़ का पूंजी निवेश करते हुए वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ किया गया हो एवं पूंजी निवेश अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो। 2. स्वत्वधारी द्वारा उन्नयित छविगृह में वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ करने के एक माह पूर्व विमुक्ति प्रदान करने हेतु संयुक्त आयुक्त(प्रशासन) के समक्ष विहित प्रपत्र "।" में आवेदन समर्पित किया जायेगा एवं वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रारंभ होने के बाद अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले प्राधिकारी द्वारा कुल पूंजी निवेश के संबंध में निर्गत प्रमाण पत्र संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष किये जाने के शर्त्त के अधीन प्रपत्र "।।" में विमुक्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।	पाँच वर्ष

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

[सं० विक्री करा०कर 12/2005]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रवि मित्तल,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सरकार के सचिव।

29 दिसम्बर 2005

एस०ओ० 120—एस०ओ० 119, दिनांक 29 दिसम्बर 2005 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० विक्री-करा०क० कर-12/2005]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रवि मित्तल;
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सरकार के सचिव।

The 29th December, 2005

S.O. 119, dated 29th December, 2005.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 and upon being satisfied that it is necessary so to do in the interests of the State the Governor of Bihar is pleased to exempt, subject to the conditions and restrictions specified in column 3 of the table appended hereto, the entertainment specified in column 2 for the period specified in column 4 thereof:—

Table

Sl. No.	Nature of the Entertainment	Conditions and restrictions	Period
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Theatres in which upgradation regarding modern sound system/Air conditioner/ generating set/furniture has been effected or theatres effecting expansion/ modernization	The theatre commences commercial exhibition after making incremental capital investment of a minimum of Rs. one crore upto 31.03.2010 in respect of upgradation regarding modern sound system/Air conditioner/ generating set/ furniture or expansion/ modernization and the capital investment has been certified by the Licensing Authority. 2. The owner of the theatre shall apply for exemption to the Joint Commissioner (Admn.) in Form I one month before commencing commercial exhibition in the upgraded theatre and the Joint Commissioner (Admn.) shall issue the exemption certificate in Form II upon the production of the certificate regarding total capital investment issued by the Licensing Authority.	Two years
2.	New Twin Digital Cinema Centres making a capital investment of minimum of Rs. 1.5 crores	The New Twin Digital Cinema Centre commences commercial exhibition after making capital investment of a minimum of Rs. 1.5 crores upto 31.03.2010 and the capital investment has been certified by the Licensing Authority. 2. The owner of the theatre shall apply for exemption to the Joint Commissioner (Admn.) in Form I one month before commencing commercial	Three years

		exhibition in the upgraded theatre and the Joint Commissioner (Admn.) shall issue the exemption certificate in Form II upon the production of the certificate regarding total capital investment issued by the Licensing Authority.	
3.	Mutliplexes in which a minimum of three cinema theatres have been constructed.	Mutliplexes commencing commercial exhibition after making capital investment of a minimum of Rs. 3 crores upto 31.03.2010 in the constructin of atleast three cinema theatres and the capital investment has been certified by the Licensing Authority. 2. The owner of the theatre shall apply for exemption to the Joint Commissioner (Admn.) in Form I one month before commencing commercial exhibition in the upgraded theatre and the Joint Commissioner (Admn.) shall issue the exemption certificate in Form II upon the production of the certificate regarding total capital investment issued by the Licensing Authority.	Five years

2. This notificatin shall come into force with effect from the date of issue.

[File No. Bikri-Kar/A.Kar-12/2005]

By order of the Governor of Bihar,

RAVI MITAL
Commissioner and Secretary,
Bihar, Patna.

प्रपत्र I

अधिसूचना संख्या–एस0ओ0.............. दिनांक.................... के अन्तर्गत कर–विमुक्ति हेतु

आवेदन।

9. स्वत्वधारी का नाम एवं पूरा पता :–

10. व्यवसाय का स्वभाव (यथा निजी स्वामित्व, साक्षेदारी, अविभाजित हिन्दु संयुक्त परिवार, कम्पनी आदि) :–

11- मनोरंजन की प्रकृति :–

12- छविगृह / न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र / मल्टीप्लैक्स का नाम एवं पूरा पता :–

13- छविगृह उन्नयन / न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र / मल्टीप्लैक्स में कार्य प्रारंभ होने की तिथि :–

14- पूंजी निवेश का परिमाण :–

15- वाणिज्यिक प्रदर्शन प्रांरभ होने की अनुमानित तिथि :–

16- छविगृह पर बकाये की स्थिति (अगर छविगृह उन्नयन का मामला हो) :–

मैं / हम एतद् द्वारा घोषित करता / करती हूं कि उपरोक्त सभी सूचनाऐं मेरे सर्वोत्तम जानकारी में सही एवं सत्य हैं। मेरे द्वारा प्रदर्शन प्रांरभ होने करने के सात दिनों के अन्दर अनुज्ञप्ति निर्गमन करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्गत वांछित प्र..ण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

तिथि:–

स्थान:–

आवेदक का नाम

स्वत्तधारी / स्वत्तधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का पदनाम

(आवेदन निजी स्वामित्तव की स्थिति में व्यवसाय के स्वामी द्वारा, संयुक्त हिन्दू परिवार की स्थिति में कर्त्ता द्वारा, साक्षेदारी व्यवस्था की स्थिति में प्राधिकृत साक्षेदार द्वारा, कम्पनी या कारपोरेशन की स्थिति में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा एवं किसी सोसाइटी कलव एसोसियेशन या सरकार के विभाग के स्थिति में प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।)

प्रपत्र "II"

अधिसूचना संख्या–एस0ओ0.................. दिनांक.......................... के अन्तर्गत विमुक्ति प्रमाण पत्र

1. स्वत्वधारी का नाम एवं पूरा पता :–

2. व्यवसाय का स्वभाव(यथा निजी स्वामित्व, साझेदारी, अविभाजित हिन्दु संयुक्त परिवार, कम्पनी आदि) :–

11. मनोरंजन की प्रकृति :–

12. छविगृह / न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र / मल्टीप्लैक्स का नाम एवं पूरा पता :–

13. छविगृह उन्नयन / न्यू ट्वीन डिजीटल सिनेमा केन्द्र / मल्टीप्लैक्स में कार्य प्रारंभ होने की तिथि –

14. पूंजी निवेश का परिमाण :–

15. आवेदन समर्पित करने की तिथि :–

16. अनुज्ञप्ति करने वाले प्राधिकारी पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र निर्गमन की तिथि :–

17. कर–विमुक्ति की अवधि :–

18. विमुक्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :–

तिथि :–

स्थान :–

कार्यालय का मुहर

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

...........................प्रमंडल ....

Form I

Application for exemption from tax under Notificatin No. S.O..........

dated...........

1. Name and complete address of the owner-
2. Nature of business (eg. proprietorship, partnership, Hindu Undivided Family, Company, etc.):-
3. Nature of entertainment:-
4. Name and complete address of the Theatre/New Twin Digital Cinema Centre/Multiplex
5. Date of commencement of upgradation of the theatre/New Twin Digital Cinema Centre/Multiplex:-
6. Amount of Capital investment:-
7. Estimated date of commencement of commercial exhibition
8. Dues in relation to the theatres (in case of upgradation):-

I/We hereby declare that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge. I/We shall furnish the required certificate issued by the Licensing Authority within seven days of the commencement of commercial exhibition by me/us.

Date:-

Place:- Signature of the applicant

Status in relation to the owner

(The application shall be signed by the owner of the business in case of a proprietorship form, the Karta in the case of Hindu Undivided Family, the authorized partner in case of a partnership form, the principle Executive Officer in case of a Company or Corporation and the In-charge in the case of a Society, Club, Association or a Department of the Government.)

Form II

Certificate of exemption under Notificatin No. S.O.......... dated...........

1. Name and complete address of the owner-

2. Nature of business (eg. proprietorship, partnership, Hindu Undivided Family, Company, etc.):-

3. Nature of entertainment:-

4. Name and complete address of the Theatre/New Twin Digital Cinema Centre/Multiplex

5. Date of commencement of upgradation of the theatre/New Twin Digital Cinema Centre/Multiplex:-

6. Amount of Capital investment:-

7. Date of submission of application:-

8. Date of issuance of certificate by Licensing Authority:-

9. Period of exemption:-

10. Name and designation of the officer issuing the exemption certificate:-

Date:

Place:

Office Seal

Joint Commissioner of Commercial Taxes (Admn.)

.... Division............

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 890—राइनो—571—1000—